रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032021-225711 CG-DL-E-08032021-225711

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] No. 117] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2021/फाल्गुन 17, 1942 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2021/PHALGUNA 17, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

सा.का.नि. 158(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में,- अनुलग्नक में, प्ररूप आईएनसी-35 एजीआईएलई-पीआरओं, स्पाईस+ का भाग, क्रम संख्या 12 में, तालिका (क) के अंत में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

"क्या आप जीएसटीआईएन रजिस्ट्री के लिए आधार अधिप्रमाणन करना चाहते हैं

O हां O नहीं"

[फा. सं. 1/13/2013 सीएल-V, खंड. IV]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

1429 GI/2021 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.िन. 91(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2021

- **G.S.R. 158(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,- in the Annexure, in Form INC-35 AGILE-PRO, part of SPICe+, in serial number 12, at the end of Table (A), the following shall be inserted, namely.—

"Do you wish to perform Aadhar authentication for GSTIN registration.

O Yes O No"

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.IV]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 1st February, 2021.